एफ.एस. प्रकरण संख्या– 07/2018

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर

एफ.एस. प्रकरण संख्या– 07/2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री जेठू सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष, (विक्रेता एवं मालिक)मैसर्स– जोधपुर स्वीट मार्ट, चाबा रोड, शेरगढ, जोधपुर।निवासी–हांडा का बेरा, सुहालिया पंचायत, तहसील–शेरगढ, जोधपुर।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(पप) एंव धारा 51 के तहत

निर्णय **दिनांक 26.03.2018**

यह प्रकरण श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया किः–

1– आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

2– आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है । (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

3– दिनांक 03.05.2017 को 03:45 पी.एम. मैं संदीप अग्रवाल बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग, फर्म मैसर्स– जोधपुर स्वीट मार्ट, चाबा रोड, शेरगढ, जोधपुर। पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, इस समय संस्थान पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री जेठू सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी–हांडा का बेरा, सुहालिया पंचायत, तहसील–शेरगढ, जोधपुर उपस्थित मिले। श्री पूर्ण सिंह ने स्वयं को मैसर्स– जोधपुर स्वीट मार्ट, चाबा रोड, शेरगढ, जोधपुर का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना जाहिर किया। एवं

मौके पर संस्थान के बिजली के बिल एवं स्वयं के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रतिया प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4– संस्थान का निरीक्षण करने पर दुकान मे स्थित फ्रीज मे एक बडे स्टील के भगोने मे लगभग 5 किलो ग्राम **टोन्ड दूध से बना दही** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये, रूबरू गवाह श्री रमेश कुमार एवं मेरे साथ गये श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मु0चि0 एंव स्वा0 अधि0 जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं मालिक तथा गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **टोन्ड दूध से बना दही** वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो संलग्न है ।

5– रूबरू गवाह के सामने विक्रेता एवं मालिक को **रूपये 48/–** नगद देकर **टोन्ड दूध से बना दही 800 ग्राम** हिलामिला एकरूप कर एक साफ, सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

6– विक्रेता एवं मालिक व गवाह के रूबरू खरीदशुदा 800 **ग्राम टोन्ड दूध से बना दही** को हिलामिलाकर एकरूप कर चार साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक की चौडे मुंह वाली बोतलो मे बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल मे 16–16 बूंदे फॉर्मेलीन बतौर प्रीजरवेटिव डाली गई एवं प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना बोतल हेतु लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम–1497,** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार कागज मे लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक एम–1497 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई मे गोंद से चिपकाई एवं प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया एवं की गई समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की एवं पढकर, पढाकर, समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना **एम–1497** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता एवं मालिक के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है

7– कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना

भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वंय के द्वारा दिनांक 04.05.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

8– **एम–1497** नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभि

हित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 03.05.2017 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 03.05.2017 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

9– अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 11973–74 दिनांक 05.06.2017 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 433/एक्ट/2017/432 दिनांक 18.05.2017 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **टोन्ड दूध से बना दही** का नमूना **अवमानक (Substandard food)** होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोट एवं मय रजिस्टर्ड डाक की रसीद सलंग्न है ।

11– खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 के उपनियम 2.4.2(6) के अर्न्तगत इस कार्यालय के रजि0 पत्र संख्या एफएसएसए/2017/एम–1497/11973–74 दिनांक 05.06.17 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट एल.एस. 433/एक्ट/2017/432 दिनांक 18.05.2017 श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री जेठू सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष मैसर्स– जोधपुर स्वीट मार्ट, चाबा रोड, शेरगढ, जोधपुर को नियम 2.4.6 (1) एंव धारा 46(4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सुचनार्थ प्रेषित की गयी । खाद्य कारोबारकर्ता श्री पूर्ण सिंह के द्वारा पुनः जांच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। अतः जांच रिपार्ट संख्या एल. एस. 433/एक्ट/2017/432 दिनांक 18.05.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Milk Fat जो कि Not Less than 3.0 : होना चाहिये था जो कि परिणाम मे 1.14% पाया गया है, के कारण उक्त खाद्य पदार्थ **अमानक स्तर (Sub-Standard)** होना पाया गया है । जो **अर्न्तगत धारा 3(1) (zx)** of Food safety and Standard Act-2006 का उल्लघंन है । जो कि एफ. एस. एस. एक्ट 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लघंन है जिसका जुर्माना **धारा 51** में वर्णित है ।

खाद्य पदार्थ टोन्ड दूध से बना दही अमानक स्तर (Sub-Standard) का निर्माण एंव विक्रय कर एफएस. एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (पप) का उल्लघंन किया है जो की धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है ।

अप्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि अप्रार्थी पूर्ण सिंह द्वारा दूध में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गयी है। अप्रार्थी बाजार से दूध खरीदकर दही बनाता है। अतः अप्रार्थी ने किसी प्रकार की अपने स्तर पर मिलावट नहीं की है। अतः प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवम इसके साथ संलग्न दस्तावेज, खाद्य विश्लेषक एवम जन विशलेषण राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट फार्म बी. संख्या एल.एस.

/433/एक्ट/2017/432 दिनांक 18.05.2017 द्वारा अप्रार्थी से प्राप्त टोण्ड दूध से बना दही का नमूना संख्या 433 का सेम्पल **Sub-Standard** होना पाया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी पूर्ण सिंह पुत्र जेठू सिंह राजपूत विक्रेता मैसर्स जोधपुर स्वीट मार्ट चाबा रोड़ शेगरढ़ जोधपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानम अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी पूर्ण सिंह पुत्र जेठू सिंह जाति राजपूत विक्रेता एवं मालिक जोधपुर स्वीट मार्ट चाबा रोड़ शेरगढ़ जोधपुर द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवम नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन करने एवम अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पूर्ण सिंह पर राशि रूपये 5000/– (अक्षरे. पांच हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी पूर्ण सिंह शास्ति राशि एक माह के भीतर जमा करवाकर चालान की रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2018/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।

2.अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

3.श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री जेठू सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष, (विक्रेता एवं मालिक)मैसर्स– जोधपुर स्वीट मार्ट, चाबा रोड, शेरगढ, जोधपुर।निवासी–हांडा का बेरा, सुहालिया पंचायत, तहसील–शेरगढ, जोधपुर।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।